

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा**  
**पीठासीन अधिकारी: श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या 7/2020 (अपील)

**उनवान**

नन्दकिशोर पुत्र गेन्दीलाल, जाति खटीक, निवासी सुल्तानपुर, जिला कोटा  
(अपीलाण्ट)

**बनाम**

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :- 1. श्री बलराम शर्मा (अभिभाषक अपीलाण्ट)  
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार रेस्पो0 की ओर से)


**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956**

**बनाराजगी आदेश दिनांक 28.11.2019**

**न्यायालय तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा**

**निर्णय दिनांक : 09.05.2024**

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुए।
3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किए बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुए बिना ही एवं कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलाण्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम तोरण स्थित आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.64 हे0 भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर 60 दिन की सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

  
**अति. जिला कलेक्टर**  
**कोटा**

6. विद्वान् अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किए बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस प्रोपर तामील हुऐ बिना ही एवं कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलान्ट न तो अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत साक्ष्य नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम तोरण स्थित आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.64 हैक्टयर भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर 60 दिन की सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड़ दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। रेस्पोजेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन रहा है कि "अपीलान्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम तोरण स्थित आराजी खसरा नम्बर 182 रकबा 0.64 हैक्टयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिये इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलान्ट अप्रार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया गया है, एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलान्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जैर अपील से अपीलान्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

8. निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
कोटा, जिला कोटा  
कोटा